

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू-अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:- अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :- 260/2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2024/422

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

सगतसिंह पुत्र विरधसिंह

जाति राजपूत

निवासी जामतनगर

तहसील पाटोदी व जिला बालोतरा

1. नसीर खां पुत्र नागे खां

2. वली खां पुत्र नागे खां

3. शेरू खां पुत्र नागे खां जाति मुसलमान

4. अमरसिंह पुत्र तगसिंह

5. इन्द्रसिंह पुत्र तगसिंह

6. उदयसिंह पुत्र तगसिंह

7. देवीसिंह पुत्र तगसिंह

8. लहरोंकंवर पत्नी तगसिंह

9. राणसिंह पुत्र अचलसिंह

10. चन्दनसिंह पुत्र प्रेमसिंह

11. हरूकंवर पत्नी प्रेमसिंह

12. स्वरूपसिंह पुत्र करणसिंह

जाति राजपूत निवासी जामतनगर

13. अम्बालाल पुत्र हड़मता

14. खीमाराम पुत्र हड़मता

15. चम्पालाल पुत्र हड़मता

16. भंवराराम पुत्र हड़मता

17. विजाराम पुत्र हड़मता जाति सुथार

18. शोभादेवी पत्नी ओमप्रकाश

जाति ओसवाल निवासी जामतनगर,

तहसील पाटोदी व जिला बालोतरा

19. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार

पाटोदी



राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति-

1. श्री रामसिंह राजपुरोहित व श्री धर्मेन्द्रसिंह राजपुरोहित अधिवक्ता प्रार्थी

2. विप्रार्थीगण एकपक्षीय

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

आदेश

दिनांक 13/01/25

1. संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं, कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम जामतनगर पटवार हल्का पाटोदी तहसील पाटोदी की खेत खसरा संख्या 2809/2421 क्षेत्रफल 1.9749 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2815/2422 क्षेत्रफल 0.3399 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2818/2419 क्षेत्रफल 0.9389 हैक्टेयर व खसरा संख्या 2821/2424 क्षेत्रफल 1.6673 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। अतः प्रार्थी द्वारा ग्राम जामतनगर पटवार हल्का पाटोदी तहसील पाटोदी की खेत खसरा संख्या 2809/2421 क्षेत्रफल 1.9749 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2815/2422 क्षेत्रफल 0.3399 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2818/2419 क्षेत्रफल 0.9389 हैक्टेयर व खसरा संख्या 2821/2424 क्षेत्रफल 1.6673 हैक्टेयर भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।

2. प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. हमने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी। प्रार्थी अधिवक्ता ने आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम जामतनगर पटवार हल्का पाटोदी तहसील पाटोदी की खेत खसरा संख्या 2809/2421 क्षेत्रफल 1.9749 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2815/2422 क्षेत्रफल 0.3399 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2818/2419 क्षेत्रफल 0.9389 हैक्टेयर व खसरा संख्या 2821/2424 क्षेत्रफल 1.6673 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है, प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी की भूमि आई हुई है, वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है, और प्रार्थी की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते हैं तथा प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है, और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है।



उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालेश्वर


विप्रार्थी झगड़ालू प्रवृत्ति का होने के कारण आये दिन प्रार्थी को उसकी खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद करते रहते है। अंत मे निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम जामतनगर पटवार हल्का पाटोदी तहसील पाटोदी की खेत खसरा संख्या 2809/2421 क्षेत्रफल 1.9749 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2815/2422 क्षेत्रफल 0.3399 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2818/2419 क्षेत्रफल 0.9389 हैक्टेयर व खसरा संख्या 2821/2424 क्षेत्रफल 1.6673 हैक्टेयर भूमि की नेखमबन्दी के आदेश किया जावें।

4. हमने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम जामतनगर पटवार हल्का पाटोदी तहसील पाटोदी की खेत खसरा संख्या 2809/2421 क्षेत्रफल 1.9749 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2815/2422 क्षेत्रफल 0.3399 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2818/2419 क्षेत्रफल 0.9389 हैक्टेयर व खसरा संख्या 2821/2424 क्षेत्रफल 1.6673 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है, जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत् 2079-2082 का अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्ड खातेदार है और रिकार्ड खातेदार अपनी भूमि की नेखमबंदी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसका प्रार्थी हकदार प्रतीत होता है। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का उल्लेख करना उचित समझते है, जिसके अनुसार :- धारा 128 सीमा विवाद-सम्बन्धी समस्त विवाद भू-अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से

पेश किए जायेंगे:

परन्तु खेतों के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन-पत्र, जहां यद्यपि ऐसी सीमा के विषय में कोई विवाद विद्यमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठाने की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेंगे तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेंगे)

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है, कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादों का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 17.05.2024 के अवलोकन से हस्तगत प्रकरण में विचाराधीन आराजी की सीमाओं में विवाद होने का उल्लेख नहीं है। ऐसी स्थिति में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128(1) के अनुसरण में निर्विवाद


उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा



मामलो को तहसीलदार द्वारा निपटाया जाना है,अतः हस्तगत प्रकरण में हम प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान बाबत तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना-पत्र/आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करना उचित समझते हैं।

5.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस नतीजे पर पहुंचा है,कि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश करवाने के हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन आंशिक स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

—:आदेश:—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः आवेदन-पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम जामतनगर पटवार हल्का पाटोदी तहसील पाटोदी की खेत खसरा संख्या 2809/2421 क्षेत्रफल 1.9749 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2815/2422 क्षेत्रफल 0.3399 हैक्टेयर,खसरा संख्या 2818/2419 क्षेत्रफल 0.9389 हैक्टेयर व खसरा संख्या 2821/2424 क्षेत्रफल 1.6673 हैक्टेयर भूमि की पैमाईश करने हेतु एक राजस्व टीम का गठन कर मुस्तकिल बिन्दु से विवादित आराजी की सीमाओं का चिन्हिकरण करते हुए पैमाईश कर विधिनुसार कार्रवाई करने हेतु तहसीलदार पाटोदी को निर्देशित किया जाता है। यदि विवाद हो,तो पालना रिपोर्ट पेश करे। पत्रावली इसी कदर निर्णीत होकर संख्या से एक क्रम होकर दाखिल दफतर हो।

(अशाक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 13/01/2025 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

13/01/25